संख्या-70/2024/।/714486/2024/003-71-2099-191-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-09/08/2024

विषय:-एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर (TCCC) की स्थापना हेतु अंतिम किश्त् की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/आर0टी0/TCCC-385/2024, दिनांक 08.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024225 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत टर्शियरी कैंसर केयर केन्द्र की स्थापना (के0-60/रा0-40-के0+रा0) हेतु मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में रू0 350.00 लाख की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से एन0एन0ए0 एकाउन्ट में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराया है कि नेशनल प्रोग्राम फार प्रीवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एण्ड स्ट्रोक (NPCDS) के अन्तर्गत एस0जी0पी0जी0आई0 में टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर (TCCC) की स्थापना हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 द्वारा केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0 1143.00 लाख स्वीकृत किया गया। उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 08 जनवरी, 2018 द्वारा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 1143.00 लाख अवमुक्त की गयी है, इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा राज्यांश के रूप में धनराशि रू0 762.00 लाख अवमुक्त की गयी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 24 मई, 2021 द्वारा धनराशि रू0 328.40 लाख पत्र दिनांक 24-05-2021 द्वारा रू0 394.98 लाख एवं पत्र दिनांक 24-05-2021 द्वारा रु0 1.12 लाख की धनराशि अर्थात कुल रू0 724.50 लाख अगली किश्त के रूप में स्वीकृत किया गया, जिसके सापेक्ष शासनादेश दिनांक 03.11.2021 द्वारा रू0 100.00 लाख (केन्द्रांश) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2022 द्वारा केन्द्रांश के रूप में रू0 624.50 लाख एवं शासनादेश दिनांक 28.03.2023 द्वारा केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0 622.50 लाख (जिसकी पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0 898.00 लाख, इस प्रकार प्रश्नगत प्रायोजना की लागत रू0 4500.00 लाख के सापेक्ष अब तक केन्द्रांश की धनराशि रू0 2490.00 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रू0 1660.00 लाख अर्थात कुल रू0 4150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शियरी कैंसर केयर केन्द्र की स्थापना हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-T.20015/32/2014-CR,T/3600922/2023, दिनांक 07.07.2023 द्वारा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत परियोजना की अवशेष धनराशि अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्ष-4210-03-105-13-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैंसर केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.)-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 350.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 3,23,43,000/- (रूपये तीन करोड़ तेइस लाख तैंतालिस हजार मात्र) तथा लेखाशीर्ष-4210-03-105-89-केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश-8924-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैंसर केन्द्र की स्थापना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 26,57,000/- (रूपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 350.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर स्कीम (TCCC) की गाइड लाइन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. उपकरणों/सज्जा के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई.टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (Gem) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजना पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। किन्हीं अन्य कार्य मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।
4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त की जा रही इस धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का कोषागार से आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की होगी।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जायेगा।
7. अवमुक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य मदों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है। अन्य किसी कार्य मदों में व्यायावर्तन को वित्तीय अनियमितता समझा जायेगा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि स्टेट बैक ऑफ इंडिया के जवाहर भवन शाखा में खोले गये सिंगल नोडल एकाउन्ट (एस0एन0ए0) क्रमांक-40777594161, (केन्द्रीय स्कीम कोड-2035, राज्य स्कीम कोड-यू0पी0-50) में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्येम से आवंटित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 3,23,43,000 (रुपये तीन करोड़ तेईस लाख तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैंसर केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.) **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (*2*) रुपये 26,57,000 (रुपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058924 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैंसर केन्द्र की स्थापना **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-65/दस-2024-25, दिनांक 24.07.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-70/2024/।/714486/2024/003-71-2099-191-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (एनसीडी-।। सेक्शन) भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया केन्द्रांश की अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि केन्द्रांश की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से आवश्यक समन्वय करने का कष्ट करें।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्तक (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।